भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3028
09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश

3028. श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान एमडी/एमएस चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ घटकर शून्य परसेंटाइल हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इसका तात्पर्य यह है कि एनईईटी-पीजी में नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार इस नीति में कतिपय संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए एमडी/एमएस मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ/अर्हता प्रतिशत को सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम तक कम कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी स्नातकोत्तर सीटें रिक्त न रहे। नीट-पीजी 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र थे।

******